

23/08/22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय पक्षकारान उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी दीर्घ राजकीय कार्य में व्यस्त है।
दौरे पर है। अतः गतानुसार कार्यवाही हेतु पत्रावली
दिनांक 07/09/22 को पेश की।

शुभेकांत जेज पत्रांक 8430/18/8/22 पेशा बुद्धि/शाशिल
पत्रावली हो।

07/09/22

आज पद पत्रावली पेशा बुद्धि/ वकीलवादी
उपस्थित हुए एवं वादविवाद काटने के लिए
निवेदन किया। उनके प्रस्ताव तत्कालीन आदेशों का
एवं तहसीलदार सुभेकांत जेज पत्रांक 8430/18/8/22
है। प्राप्त शुभेकांत प्रस्ताव पर वकीलवादी का प्रस्ताव
गया। वादिका का नंबर 170/0.68, 171/0.23,
172/0.23, 173/0.06 है। के.ए.ए. का ग्राम देलावास
तहसील सुभेकांत जिला अजमेर (राज.) के क्षेत्र के
तत्कालीन आदेशों के अन्तर्गत डिप्टी कमिश्नर
है एवम् प्राप्त शुभेकांत प्रस्ताव "उदरी-अ" एवं वाद
तहसील शाशिल अन्तर्गत निर्णय एवं अन्तिम पर्याप्त
डिप्टी के अन्तर्गत अंतर है। मुलाखत शुभेकांत
प्रस्ताव "उदरी-अ" अन्तर्गत उपस्थित पत्रांक का
वादेकांत रूप प्रमाण प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष कापड किए जाने
के आदेश दिए जाते हैं। उपर्युक्त ही हाल राजाव
दिनांक के अन्तर्गत आदेश किए जाते हैं। के.ए.ए.
के अन्तर्गत उपस्थित पत्रांक का अन्तर्गत अन्तर्गत
रकबे कापड के अन्तर्गत राष्ट्रीय वकूलाय
वैदिकी तहसील अन्तर्गत पर्याप्त डिप्टी जारी है।
पत्रावली निवेदन सुना है। नम्बर का का है।
वाद तहसील जिला अजमेर गया।

जहायदा
मुद्रांक